न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS
दीवानी वाद संख्या – 23/2015
सी.आई.एस नंबर – 23/2015
CNR No. – RJBW190000502015

किशना पिता श्री घीसा खारोल, निवासी बांकली, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा (राज.)

–वादी

– बनाम –

प्यारा पिता श्री घीसा खारोल निवासी बांकली तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.)

–प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश

उपस्थितः–
1. श्री अब्दुल रशीद पठान, अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री राजेश तिवाड़ी, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 13.03.2026**

1. हस्तगत वाद–पत्र वादी किशना ने दिनांक 09.07.2015 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल, भीलवाडा के समक्ष बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा आदेशात्मक आज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी प्यारा प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 10–07–2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका निस्तारण एतदद्वारा किया जा रहा है।

2. वादी के वाद–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने ग्राम बाकली में ग्राम पंचायत चाांखेड़ से दिनांक 23.07.1996 को बापी पट्टा प्राप्त किया है जिसकी पट्टा सं. 56 है जिसकी पत्रावली सं. 49 संवत् 2053 दिनांक 23.07.1997 है जो 750/– रुपये रोकड दिनांक 01–01–1998 को जमा कर वादी के नाम पट्टा जारी किया गया जिसकी नपती 25 गुणा 30 फिट है। इस प्लॉट के पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 का प्लॉट, पश्चिम में 30 फिट चौड़ा आम रास्ता, उत्तर में दिनेश पारीक का तलिया व दक्षिण में पड़त पंचायत भूमि है। पिछले 17 वर्षों से अधिक समय से वादी इस जायदाद पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। इस भूखण्ड को नजरीनक्शे में मार्क अ,ब,स,द से दर्शाया गया है। प्रतिवादी, वादी का सगा बड़ा भाई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को भी वादी के इस भूखण्ड के पूर्व दिशा के पड़ोस में एक बापी पट्टा सं. 55 पत्रावली सं. 48 संवत् 2053 दिनांक 23.07.1996 होकर दिनांक 01.01.1998 को बापी पट्टा जारी किया गया जिसके पश्चिम दिशा का पड़ोस वादी को बताया है। प्रतिवादी के मन में फितुर आ जाने से वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूखण्ड पर प्रतिवादी जबरन कब्जा कर अपने भूखण्ड में मिलाने पर आमादा है। इसी आशय से दिनांक 09.05.2015 को प्रतिवादी ने मौके पर आकर अनाधिकृत रुप से वादी के भूखण्ड में प्रवेश कर जबरन कब्जा करने की नियत से पत्थर डालने का प्रयास किया जिसे वादी ने विफल कर दिया। जिसके संबंध में एक रिपोर्ट वादी ने पुलिस थाना बागोर में उसी दिन दिनांक 09.05.2018 को दर्ज करवायी है जो जैर कार्यवाही नहीं है।

वादी उसकी पट्टेशुदा जायदाद पर निरंतर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी बड़ा भाई होने की वजह से जबरन बलपूर्वक वादी को उसकी जायदाद से बेदखल करने पर आमादा है। वादकारण दिनांक 09.05.2015 से उत्पन्न होकर सतत रुप से जारी है। अंत में वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादी वादपत्र की मद सं. 1 में वर्णित जायदाद मुताबिक नजरीनक्शा मार्क अ, ब, स, द से वादी को जबरन बेदखल न करें, वादी के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें एवं वादी की जायदाद में बलपूर्वक किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण कार्य न करें। वादी ने प्रतिवादी को इस आशय की आदेशात्मक निषेधाज्ञा से भी पाबंद करवाये जाने का अनुतोष चाहा है कि यदि दौराने वाद प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखल कर कोई निर्माण कार्य कर ले तो अवैध निर्माण को प्रतिवादी के खर्चे से ध्वस्त कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

3. प्रतिवादी प्यारा ने जवाब दावा पेश कर मुख्य रूप से विरोध में तर्क दिये कि वादी के नाम भूखण्ड नपती 25 गुणा 30 फिट का बापी पट्टा दिनांक 23.07.1996 को पट्टा क्रमांक 56 के द्वारा जारी किया गया था परंतु वादी का यह अंकित करना कि वादी उसके नाम जारी पट्टेशुदा भूखण्ड पर पिछले 17 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है गलत होकर स्वीकार नहीं है। वर्तमान में उक्त पड़ोसों के मध्य उक्त नपती का कोई भूखण्ड जो वादी के स्वामित्व व आधिपत्य में है मौके पर विद्यमान नहीं है। वादी, प्रतिवादी का सगा छोटा भाई है तथा प्रतिवादी की ग्राम बांकली में नपती 30 गुणा 60 फिट का कब्जेशुदा भूखण्ड था जिसका पट्टा प्रतिवादी ने खुद के नाम जारी करवाने के लिए सन् 1996 में ग्राम पंचायत चांखेड से निवेदन किया कि जो ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा 30 गुणा 60 फिट के बड़े भुखण्ड का पट्टा अकेले प्रतिवादी के नाम पर जारी करने में असमर्थता जाहिर करने पर प्रतिवादी ने उसके कब्जेशुदा उक्त 30 गुणा 60 फिट के भूखण्ड में से अपने स्वयं व अपने छोटे भाई के नाम पर दो अलग–अलग पट्टे जारी करने के आवेदन किये जिसे ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के कब्जेशुदा 30 गुणा 60 फिट के भूखण्ड में से दो अलग–अलग पट्टे वादी व प्रतिवादी के नाम पर सन् 1997 में जारी किये गये तथा प्रतिवादी ने भी उक्त पट्टो की राशि ग्राम पंचायत चांखेड़ में जमा करवायी थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी इन्हीं दोनों पट्टो का हवाला वादी ने अपने वादपत्र की चरण सं. 1 व 2 में दिया है। तत्पश्चात् प्रतिवादी ने उक्त दोनों पट्टो की भूमि जो कि प्रतिवादी के कब्जे में थी के चारों ओर प्रतिवादी ने चारदीवारी बनाकर रहवाश हेतु कुछ भूभाग पर पक्का मकान बनाया व शेष भूभाग को गाय, भैंस, बकरी व मवेशी बांधने व मवेशियों के लिए घास–फुंस व जलाउ लकड़ी रखने के काम में लेकर निरंतर निर्बाद रुप से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वर्ष 2004 में भी वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में एक स्टाम्प पर शपथपूर्वक शपथ पत्र निष्पादित कर यह स्वीकार किया कि ग्राम बांकली में स्थित वादी के नाम पर जो पट्टेशुदा भूखण्ड है वह वादी के भाई प्यारचंद अर्थात् प्रतिवादी का है तथा प्यारचंद जी इस भूखण्ड पर काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा इस भूखण्ड पर वादी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा इस भूखण्ड का सनद पट्टा प्यारचंद के नाम पर दे दिया जाये तो उसमें वादी को कोई उज्र एतराज नहीं है तथा वादी व उसके उत्तराधिकारी इसमें कोई उजर बसर नहीं करेंगे। वादी के इसी शपथ पत्र व स्वीकोरक्ति के बाद ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा प्रतिवादी के नाम पर संपुर्ण जांच पड़ताल कर नियमानुसार मिसल कायम कर मौका निरीक्षण करने के उपरांत प्रतिवादी का मौके पर कब्जा देख वर्ष 2014 में मकान व भूखण्ड का विनियमितिकरण किया गया। विनियमितिकरण पट्टे नपती 30 गुणा 60 फिट के पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में मगना जी खारोल व दक्षिण में मांगू खारोल का पड़ोस

स्थित है। इस भूखण्ड पर प्रतिवादी सन् 1996 से काबिज हो निवास कर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का इस जायदाद पर कोई हक–हिस्सा व स्वामित्व, आधिपत्य न तो कभी था एवं न ही वर्तमान है। मौके पर वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखण्ड वर्तमान में विद्यमान नहीं है क्योंकि प्रतिवादी ने उसके कब्जेशुदा 30 गुणा 60 फिट के भूखण्ड के दो अलग–अलग पट्टे अपने स्वयं व अपने भाई वादी के नाम जारी करवाये गये तथा पट्टा जारी करने से पूर्व से लेकर अब तक प्रतिवादी भी इस जायदाद पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का यह अंकन करना कि प्रतिवादी जबरन कब्जा करने के आशय से दिनांक 09.05.2015 को मौके पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा हुआ का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वादी अकारण छोटा भाई होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है इसी गरज से वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के विरुद्ध थाना बागोर में दिनांक 09.05.2015 को पेश किया। वादी द्वारा थाना बागोर में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर थाना बागोर द्वारा त्वरित रुप से कार्यवाही कर मौका निरीक्षण कर वादी व उसके गवाहों के बयानों को लिपिबद्ध कर उनके हस्ताक्षर करवाये गये जिसमें पुलिस थाना बागोर ने यह पाया कि विवादित स्थल पर वर्ष 1996 के पूर्व ही प्रतिवादी का कब्जा है तथा वादी ने भी अपने बयानों में यह कहा कि वादग्रस्त स्थल पर वर्तमान में प्रतिवादी का कब्जा है तथा वर्ष 2004 में वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में स्टाम्प शपथ पत्र भी निष्पादित करना स्वीकार किया है जिस पर पुलिस थाना बागोर द्वारा संपुर्ण जांच से वादी का मामला झुठा पाये जाने पर वादी के खिलाफ धारा 107–116 (3) सीआरपीसी के तहत कार्यपालक दण्डनायक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया जो जैर कार्यवाही है। वादी ने दिनांक 09.05.2015 को ही एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत चांखेड़ में इस आशय का पेश किया कि उसके पट्टेशुदा भूखण्ड पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है अतः भूखण्डों का सीमाज्ञान करा उसके पट्टेशुदा भूखण्ड का कब्जा वादी को दिलाया जाये। ग्राम पंचायत में प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति भी वादी ने वादपत्र के साथ न्यायालय के समक्ष पेश की है जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित स्थल पर वादी का कोई कब्जा न तो कभी था एवं न ही वर्तमान में है। वादी ने मनगढंत आधारों पर यह वादपत्र पेश किया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। जब वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखण्ड मौके पर विद्यमान ही नहीं है तथा प्रतिवादी अपने कब्जेशुदा व नियमितिकरण पट्टेशुदा भूखण्ड पर विगत 20 वर्षों से काबिज होकर निवास कर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का वादग्रस्त स्थल पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होकर प्रतिवादी का ही कब्जा विगत सन् 1996 से पूर्व से चला आ रहा है तो वादी कब्जे के अभाव में प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष इस वादपत्र के जरिये प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी वर्ष 2004 में प्रतिवादी के पक्ष में पट्टा जारी करने की स्वीकरोक्ति स्वरुप स्टाम्प व शपथ पत्र निष्पादित करने के उपरांत अपने कथनों से मुकर नहीं सकता व वादी स्टोपल के सिद्धांत से बाधित है दिनांक 09.05.2015 को कोई वादकारण वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि वादी का वादग्रस्त जायदाद पर कभी कब्जा व उपयोग–उपभोग नहीं रहा है। अंत में वाद वादी मय हर्जे–खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक कायम किये गयेः–

1. आया प्रतिवादी, वादी की ग्राम बाकली, ग्राम पंचायत चांखेड़ में पट्टा सं. 56 में चरण सं. 01 में वर्णित पट्टेशुदा जायदाद पर जबरन कब्जा कर अपने भूखण्ड में मिलाकर कब्जा करने

पर आमादा है अतः बहक वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित की जावे कि वह वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल न करें एवं न ही किसी अन्य से करावें?

–वादी

2. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि यदि प्रतिवादी वादी के भूखण्ड पर कोई अवैध निर्माण करें तो उसके खर्चे पर ध्वस्त कराया जावे?

–वादी

3. आया वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में एक शपथपूर्वक स्टाम्प निष्पादित किया कि '' वादी के नाम पर पट्टेशुदा भूखण्ड प्रतिवादी का है व वादी का कोई अधिकार नहीं है।'' व प्रतिवादी सन् 1996 से काबिज है?

–प्रतिवादी

4. आया ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी के नाम उक्त जायदाद का विनियमितिकरण का पट्टा जारी कर स्वामित्व व कब्जा माना?

–प्रतिवादी

5. अनुतोष?

5. वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू 01 किशनलाल, पीडब्लयू 02 चम्पालाल, पी.डब्ल्यू 03 उदयलाल को परीक्षित कराया एवं वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 जिला कलेक्टर भीलवाड़ा में प्रतिवादी प्यारा के द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय आदेशिका, प्रदर्श 02 वादी के पक्ष में जारी पट्टे की मिसल पत्रावली, प्रदर्श 03 प्रतिवादी के पक्ष में जारी पट्टे की मिसल पत्रावली, प्रदर्श 04 कमिश्नर रिपोर्ट, प्रदर्श 05 जिला कलेक्टर के निर्णय की प्रति को प्रदर्शित कराया है। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू 01 प्यारा, डी.डब्ल्यू 02 भंवरसिंह, डी.डब्ल्यू 03 गुमानसिंह, डी.डब्ल्यू 04 गोपी को परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए 1 किशन आत्मज घीसा जी खारोल का शपथ पत्र जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श ए 1 ए, प्रदर्श ए 2 थानाधिकारी थाना बागोर को कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत् रिपोर्ट, प्रदर्श ए 3 बयान परिवाद किशन के अंतर्गत धारा 107–116(3) Crpc, प्रदर्श ए 4 बयान परिवाद हीरालाल के अंतर्गत धारा 107–116(3) Crpc, प्रदर्श ए 5 बयान परिवाद डालु के अंतर्गत धारा 107–116(3) Crpc, प्रदर्श ए 6 बयान परिवाद भंवरसिंह के अंतर्गत धारा 107–116(3) Crpc, प्रदर्श ए 7 बयान परिवाद भवानीसिंह के अंतर्गत धारा 107–116(3) Crpc, प्रदर्श ए 8 प्रतिवादी प्यारेलाल के नाम पर जारी पट्टा को प्रदर्शित कराया गया।

6. न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अंतिम अधिवक्ता वादी ने तर्क दिये कि वादी के पक्ष में ग्राम पंचायत चांखेड़ के द्वारा एक भूखण्ड नपती 25 गुणा 30 फिट का पट्टा सं. 56 जारी किया गया है जिसके पूर्व में प्रतिवादी का भूखण्ड स्थित है जिसका पट्टा सं. 55 प्रतिवादी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। प्रतिवादी जबरन उसके भूखण्ड के पश्चिम में स्थित वादी के भूखण्ड को खूद के भूखण्ड में मिलाकर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादी वादी का बड़ा भाई होने की वजह से जबरन वादी को उसके पट्टेशुदा जायदाद से बेदखल करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। अंत में वादी का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दौराने बहस अंतिम विरोध में तर्क दिये कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। वादी ने दावे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। वास्तविकता यह है कि मौके पर वादी कभी विवादित भूखण्ड पर काबिज ही नहीं रहा है।

वादी ने जिस भूखण्ड का पट्टा स्वयं के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जारी करना बताया है वह भूखण्ड प्रतिवादी के कब्जेशुदा भूखण्ड नपती 30 गुणा 60 फिट का भूभाग था। प्रतिवादी ने इस 30 गुणा 60 फिट के भूखण्ड का पट्टा स्वयं के नाम जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत में किया था परंतु भूखण्ड की नाप बड़ी होने से प्रतिवादी ने इस भूखण्ड में से दो भूखण्डों का पट्टा क्रमशः वादी के व स्वयं के नाम जारी करवा लिया। वर्ष 2004 में स्वयं वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में स्टाम्प पर एक शपथ पत्र प्रतिवादी के पक्ष में विवादित भूखण्ड के बाबत् निष्पादित किया। वादी के इस शपथ पत्र व स्वीकरोक्ति के बाद ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा प्रतिवादी के नाम पर भूखण्ड नपती 30 गुणा 60 फिट का विनिमतीकरण का पट्टा वर्ष 2014 में जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब मौके पर वादी का कोई भूखण्ड अस्तित्व में नहीं है। वादी कभी विवादित भूखण्ड पर काबिज ही नहीं रहा है बल्कि उक्त 30 गुणा 60 फिट के भूखण्ड पर प्रतिवादी ने चारदीवारी बनवाकर स्वयं की सहुलियत के अनुसार कमरे, बाड़े व रसोई आदी बनवाये है तथा मौके पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है। प्रतिवादी ने पत्रावली में वर्ष 2014 में जारी विनियमितिकरण का पट्टा भी पेश किया है। वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में जारी इस विनियमितिकरण के पट्टे के विरुद्ध एक निगरानी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के यहां पेश की थी जिसमें भी प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी विनियमितिकरण के पट्टे को खारिज या स्थगित नहीं किया है। आज दिनांक तक प्रतिवादी के पक्ष में विनियमितिकरण का पट्टा प्रभाव में है। ऐसे में न तो मुताबिक पट्टा सं 56 वादी का कोई भूखण्ड मौके पर है और न ही मौके पर वादी काबिज है। अंत में वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक बिन्दु का न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 1, 3 व 4</u>

1. आया प्रतिवादी, वादी की ग्राम बाकली, ग्राम पंचायत चांखेड़ में पट्टा सं. 56 में चरण सं. 01 में वर्णित पट्टेशुदा जायदाद पर जबरन कब्जा कर अपने भूखण्ड में मिलाकर कब्जा करने पर आमादा है अतः बहक वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित की जावे कि वह वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल न करें एवं न ही किसी अन्य से करावें?

3. आया वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में एक शपथपूर्वक स्टाम्प निष्पादित किया कि '' वादी के नाम पर पट्टेशुदा भूखण्ड प्रतिवादी का है व वादी का कोई अधिकार नहीं है।'' व प्रतिवादी सन् 1996 से काबिज है?

4. आया ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी के नाम उक्त जायदाद का विनियमितिकरण का पट्टा जारी कर स्वामित्व व कब्जा माना?

9– विवाद्यक संख्या 01 को स्वयं के पक्ष में साबित करने का भार वादी पर एवं विवाद्यक सं. 03 व 04 को स्वयं के पक्ष में साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादी ने वादपत्र में उसके नाम पर ग्राम बाकली में ग्राम पंचायत चाखेड के द्वारा एक बापी पटटा संख्या 56 जारी होने के कथन किए हैं। वादी ने स्वय के इस प्लॉट के पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 का प्लॉट स्थित होने का कथन किया है। प्रतिवादी ने जवाबदावे में वादी के नाम भूखंड नपती 25/30 फीट का बापी पटटा दिनांक 23.07.1996 को पटटा क्रमांक 56 जारी करना स्वीकार किया है। पत्रावली में वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादी के पक्ष में जारी पट्टे की मिसल पत्रावली प्रदर्श 2, प्रतिवादी के नाम जारी पट्टे की मिसल पत्रावली प्रदर्श 3 पेश कर प्रदर्शित करवायी है। वादी के नाम जारी पट्टे की मिसल पत्रावली प्रदर्श 2 का अवलोकन करें तो उसमें दिनांक 25.11.1996 को वादी किशना के नाम सबसे उंची बोली होने से मुताबिक

नजरीनक्शा वादी किशना के नाम पट्टा जारी करने का अनुमोदन किया गया है। वादी की पट्टा मिसल पत्रावली में संलग्न नजरीनक्शे में वादी के पट्टे की नपती 25 गुणा 30 फिट दर्शाते हुए इस भूखण्ड के पूर्व में प्रतिवादी प्यारा का तलिया स्थित होने का अंकन है। इसी प्रकार प्रतिवादी प्यारा की पट्टा मिसल पत्रावली प्रदर्श 3 का अवलोकन करें तो उसमें दिनांक 25.11.1996 को प्रतिवादी प्यारा के नाम सबसे उंची बोली होने पर प्रतिवादी प्यारा के नाम तलिया विक्रय किये जाने का निर्णय किया गया है। प्रतिवादी की पट्टा मिसल पत्रावली में संलग्न नजरीनक्शे में प्रतिवादी के पट्टे की नपती 25 गुणा 30 फिट दर्शाते हुए इस भूखण्ड के पश्चिम में वादी किशना का तलिया स्थित होने का अंकन है। इस प्रकार पट्टा मिसल पत्रावली प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर आता है कि वादी के नाम ग्राम पंचायत चांखेड़ के द्वारा एक भूखण्ड 25 गुणा 30 फिट का पट्टा जारी करने एवं प्रतिवादी प्यारा के नाम एक तलिया 25 गुणा 30 फिट के विक्रय किये जाने का निर्णय किया गया है और वादी किशना के भूखण्ड के पूर्व में प्रतिवादी प्यारा का तलिया एवं प्रतिवादी प्यारा के पश्चिम में वादी का तलिया स्थित होने का अंकन है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह साबित आता है कि वर्ष 1996 में ग्राम पंचायत चाखेड द्वारा वादी के नाम पर जो पटटा जारी किया गया था उसके पूर्व में प्रतिवादी प्यारा के नाम पर भी एक भूखंड का पट्टा जारी किया गया है।

10– प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह अंकन किया है कि प्रतिवादी का ग्राम बांकली में कब्जेशुदा नपती 30 गुणा 60 फिट का भूखण्ड था जिसका पट्टा जारी करवाने हेतु प्रतिवादी ने सन् 1996 में ग्राम पंचायत चांखेड़ से निवेदन किया किंतु ग्राम पंचायत चाखेड़ ने 30 बाई 60 फिट के बडे भूखण्ड का पट्टा अकेले प्रतिवादी के नाम पर जारी करने पर असमर्थता जाहिर कि जिस पर प्रतिवादी ने इस 30 बाई 60 फिट के भूखण्ड में से अपने छोटे भाई के नाम व स्वयं के नाम दो अलग–अलग पट्टे जारी करने हेतु आवेदन किये जिसे ग्राम पंचायत चाखेड़ द्वारा स्वीकार कर 30 बाई 60 फिट के भूखण्ड के दो अलग–अलग पट्टे वादी व प्रतिवादी के नाम सन् 1997 में जारी किये थे। वर्ष 2004 में वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में एक स्टाम्प शपथपूर्वक निष्पादित कर यह स्वीकार किया कि वादी के नाम जो पट्टेशुदा भूखण्ड है वह वादी के भाई प्रतिवादी प्यारचंद का है और इस भूखण्ड का पट्टा प्यारचंद के नाम दे दिये जाने पर वादी को कोई उजर एतराज नही है। इस शपथ पत्र व स्वीकरोक्ति के बाद ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा प्रतिवादी के नाम वर्ष 2014 में मकान व भूखण्ड का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी कर दिया। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह जाहिर आता है कि वादी ने जिस भूखण्ड नपती 25 बाइ 30 फिट का पट्टा सं. 56 स्वयं के नाम ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा जारी करने के कथन किये है उस भूखण्ड व पूर्व दिशा में स्थित प्रतिवादी के भूखण्ड को मिलाते हुए नवीन पट्टा प्रतिवादी के नाम विनियमितिकरण से वर्ष 2014 में जारी होने के कथन प्रतिवादी कर रहा है। प्रतिवादी ने विनियमितिकरण से इस नवीन पट्टे को जारी करने का आधार वर्ष 2004 में वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्टाम्प पर निष्पादित शपथ पत्र को होना बताया है। प्रतिवादी ने जवाबदावे में अंकित इन कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रदर्श ए 1 की प्रति प्रदर्श ए 1 ए तथा प्रतिवादी के नाम जारी एक पटटा संख्या 42 दिनांकित 30.08.2024 प्रदर्श ए 8 प्रदर्शित करवाया है।

11– पत्रावली में साक्ष्य वादी में स्वयं वादी बतौर गवाह पीडब्लयू 01 पेश होकर परिक्षित हुआ है जिसने साक्ष्य के शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने जिरह मुख्य रुप से यह कथन किये है कि यह कहना सही है कि उनके बड़े भाई के नाम से पंचायत से पट्टा बनाया उसके बाद से उनके बीच बिगाड़ हो गई। यह कहना गलत है कि प्यारा के पट्टा बनाते समय पंचायत में साथ गया हो। प्रदर्श ए 1 असल हो जो सही है जो उसने लिखाया था और प्रदर्श ए 1 ए उसकी फोटोप्रति है अजखुद कहा कि प्रदर्श ए 1 पर 4 नंबर

पर जो बात अंकित लिखी हुई है वो उसने नहीं लिखवाई। भंवरसिंह भाटी, हरजी और हिरालाल इन तीनों को वह जानता है। वह डालु जी खारोल को भी जानता है। इनका भी उससे कोई लेना–देना नहीं है। उसने प्रदर्श ए 1 पर एक्स स्थान पर उसने अंगुठा नहीं लगाया था। यह कहना सही है कि ए 1 एक्स स्थान पर जो अंगुठा है उसकी एफएसएल जांच करवायी जाये तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह कहना सही है कि उसके बड़े भाई प्यारा उनके दोनों पट्टे पंचायत में देने के बाद व प्यारा के नाम पट्टा बनने के बाद उन दोनों के बीच विवाद हुआ। यह कहना सही है कि उसका पट्टा और उसके भाई का पट्टा राजीखुशी पंचायत में दिया था। यह कहना भी सही है कि उसके बाद प्यारा को पट्टा दिया था। यह कहना भी सही है कि पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा भी प्यारे के पास है। **यह कहना भी सही है कि प्यारा को जो पट्टा दिया गया था वो 30 बाइ 60 का है।** यह कहना गलत है कि उसने उक्त भूखण्ड वादग्रस्त का पट्टा उसके भाई प्रतिवादी के बनाने हेतु पंचायत में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिया था।

12– इस संबंध में गवाह पीडब्लयू 02 चम्पालाल ने दौराने जिरह कथन किया है कि यह उसे नहीं पता है कि वादी व प्रतिवादी दोनों ने अपने–अपने पट्टे पंचायत में जमा करवा दिये हो। यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत चांखेड़ ने प्यारे के नाम पट्टा बना दिया था इसलिए दोनों में विवाद हुआ। यह उसे नहीं पता कि 2004 में ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा दोनों भाई की सहमति से पट्टा दिया हो। 2014 में पट्टा दिया हो तो भी उसे जानकारी नहीं है। यह भी उसे पता नहीं है कि 2004 में किशना और प्यारा ने कहां, क्या लिखा पढ़ी हुई हो। गवाह पीडब्लयू 03 उदयलाल ने दौराने जिरह कथन किये है कि 1996 में वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा किसके नाम पर था उसे पता नहीं है फिर कहा कि किशना का पट्टा बना हुआ था।

13– इस संबध में प्रतिवादी प्यारा ने बतौर गवाह डीडब्ल्यू 01 दौराने जिरह कथन किये है कि यह बात सही है कि प्रदर्श ए 8 से पूर्व और पट्टे जारी हुए थे। इससे पहले जो पट्टा जारी हुआ वह लगभग 30 वर्ष पूर्व का है। उसे पट्टा नं. याद नहीं है। उसका पुराना पट्टा 30 गुणा 60 फिट माप का है। पुराने पट्टे के पड़ोस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में भी रास्ता, उत्तर में मांगु का भूखण्ड व दक्षिण में मगना खरोल का प्लॉट है। उसके पुराने पट्टे की नपती 30 गुणा 60 से कम हो तो इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि जब उसे पुराना पट्टा मिला था उस वक्त उसके भाई किशन को भी पट्टा मिला था। यह बात सही है कि उसके पुराने पट्टे के पास में ही पश्चिम दिशा में किशन को पट्टा मिला है। किशन को मिले पट्टे की माप 25 गुणा 30 फिट हो तो उसे इसकी पुरी जानकारी नहीं है। उसका पुराना पट्टा 30 गुणा 60 का न होकर 25 गुणा 30 का हो तो इसकी उसे आज जानकारी नहीं है। उसे यह जानकारी नहीं है कि उसका पट्टा सं. पुराना 55 व किशन का 56 हो। पहले दो पट्टे जारी किये गये थे फिर बाद में किशन से पूछताछ करके दूसरा पट्टा जारी किया। नये पट्टे की पंचायत ने मिसल बनायी थी। स्टाम्प जो प्रदर्श ए 1 ए है जो किशन के कहने से वह लेकर आया था। किशन अंगुठा लगाता है। स्टाम्प किस दिनांक को लाये वह उसे याद नहीं है। उक्त स्टाम्प किस दिनांक को लिखाया आज उसे याद नहीं है। यह स्टाम्प वह किशन के कहने से लाया या नहीं उसे पता नहीं काफी समय हो गया है। यह कहना सही है कि उक्त स्टाम्प को उसने प्रमाणित नहीं करवाया। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श ए 1 ए पर एक्स स्थान पर फर्जी अंगुठा लगाया हो। यह कहना गलत है कि उसने उसके छोटे भाई किशना का प्लॉट हड़पने के लिए धोखाधड़ी करके प्रदर्श ए 1 ए स्टाम्प बनाया हो।

14– इस संबंध में गवाह डीडब्ल्यू 02 भंवरसिंह ने दौराने जिरह कथन किये है कि प्रदर्श ए 1 ए पर हस्ताक्षर उसने 20–25 साल पहले किये थे। प्रदर्श ए 1 ए पर हस्ताक्षर उसने कब

किये थे उसे याद नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श ए 1 ए पर तारीखें अंकित नहीं है। प्रदर्श ए 1 ए को प्यारा व किशना दोनों लेकर आये थे ये बांकली लेकर आये थे। उक्त प्रदर्श ए 1 ए पर उसने पहले हस्ताक्षर कर दिये थे बाद में टाईप करवाया था। प्रदर्श ए 1 ए पर खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। लिखापढ़ी पर हस्ताक्षर किये थे। यह वो नहीं बता सकता कि दोनों में से कौन लेकर आया था। दोनों ही लेकर आये थे। यह स्टाम्प पट्टे के तलिये के विवाद का था। कौन से पट्टे का विवाद था यह उसे नहीं पता। उसके सामने नोटेरी पब्लिक नहीं करवाया था। यह कहना गलत है कि प्यारा ने किशन का अंगुठा फर्जी लगाया हो। यह स्टाम्प बंटवारा व राजीनामा का था। यह दिन के 12.00 पी.एम की बात है। यह कहना गलत है कि प्यारा उसके लिए खास हो, उसके लिए दोनो ही बराबर है। यह कहना सही है कि वादी, प्रतिवादी प्यारा का छोटा भाई है गवाह पीडब्ल्यू 04 गोपी ने इस संबंध में दौराने जिरह कथन किये है कि पट्टा पुली में इनके मकान के बारे में फैसला हुआ था फैसले में वह तो नहीं था उसके पिताजी ने निशानी की थी उस समय वह मौजूद था। उस वाद को 10–12 साल हो गये है। उसके पिताजी जीवित है जिस समय उसके पिताजी ने निशानी लगाई थी उस समय भंवरसिंह, हीरा बा, मांगु बा मौजूद थे और भी मौजूद हो तो उसे याद नहीं। अंगुठा निशानी स्टाम्प पर करवायी थी। कितने रुपये का स्टाम्प था उसे पता नहीं, लाने वाला जाने। स्टाम्प कौन लाया उसे पता नहीं। जब अंगुठा लगाया उस समय स्टाम्प खाली था।

15– इस प्रकार न्यायालय के समक्ष स्वयं वादी गवाह पीडब्ल्यू 01 किशना ने दौराने जिरह उसके भाई प्यारा के नाम एक पट्टा 30 बाई 60 का जारी हो जाना स्वीकारा है। यह गवाह बयानों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकारता है कि उसके बडे भाई प्यारा उनके दोनों पटटे पंचायत में देने के बाद व प्यारा के नाम पटटा बनने के बाद उन दोनों में विवाद हुआ था। गवाह पीडब्ल्यू 01 किशना उसका और उसके भाई का पटटा पंचायत में राजीखुशी दिया जाना स्वीकारता है। इसी के समर्थन में वादी गवाह पीडब्ल्यू 02 चंपालाल ने भी स्वीकारा है कि ग्राम पंचायत चाखेड ने प्यारा के नाम पटटा बना दिया इसीलिए दोनों में विवाद हुआ। इस संबंध में स्वयं प्रतिवादी प्यारा ने बतौर गवाह डी डब्ल्यू 01 दौराने जिरह यह स्वीकारा है कि प्रदर्श ए 8 से पूर्व और पटटे जारी हुए थे। गवाह डीडब्ल्यू 01 ने इस बात को भी सही बताया है कि जब उसे पुराना पटटा मिला था उस समय उसके भाई किशन को भी पटटा मिला था। यह गवाह उसके पुराने पटटे के पास में ही पश्चिम दिशा में पटटा मिलना सही होना बताता है। यह गवाह पहले दो पटटे जारी करने फिर बाद में किशन से पूछताछ कर दूसरा पटटा जारी होने के कथन करता है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह साबित आता है कि वर्ष 1996 में जो बापी पटटा संख्या 56 नपती 25 बाई 30 फीट वादी के नाम व इसके पूर्व में पटटा संख्या 55 प्रतिवादी के नाम जारी हुआ है उन दोनो पटटो को मिलाते हुए एक नवीन पटटा प्रतिवादी के नाम जारी किया गया है। प्रतिवादी ने इस पटटे नपती 60 बाई 30 फीट को विनियमतीकरण से वर्ष 2014 में जारी किए जाने के कथन किए हैं । प्रतिवादी ने वादी व उसके भूखंड को मिलाते हुए विनियमितीकरण से जारी यह पटटा क्रमाक 42 दिनांकित 30.10.2014 नपती 30 गुणा 60 फीट प्रदर्श ए 8 पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी गवाहान की स्वीकारोक्ति व प्रदर्श ए 8 के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह साबित आता है कि वादी ने जिस पटटा संख्या 56 को आधार बनाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध यह दावा पेश किया है उस पटटा संख्या 56 की भूमि विनियमतीकरण के पश्चात प्रतिवादी के नाम ग्राम पंचायत चाखेड द्वारा जारी पटटा क्रमांक 42 से प्रतिवादी की पटटेशुदा भूमि में समाहित हो चुकी है।

16– प्रतिवादी ने जवाबदावे में इस विनियमतीकरण का आधार वर्ष 2004 में वादी के

द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्टांप पर निष्पादित एक शपथ पत्र को होना बताया है। इस संबंध में प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह अंकन किया है कि वर्ष 2004 में भी वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में एक स्टाम्प पर शपथपूर्वक शपथ पत्र निष्पादित कर यह स्वीकार किया कि ग्राम बांकली में स्थित वादी के नाम पर जो पट्टेशुदा भूखण्ड है वह वादी के भाई प्यारचंद अर्थात् प्रतिवादी का है तथा प्यारचंद जी इस भूखण्ड पर काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा इस भूखण्ड पर वादी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा इस भूखण्ड का सनद पट्टा प्यारचंद के नाम पर दे दिया जाये तो उसमें वादी को कोई उज्र एतराज नहीं है तथा वादी व उसके उत्तराधिकारी इसमें कोई उजर बसर नहीं करेंगे। वादी के इसी शपथ पत्र व स्वीकोरक्ति के बाद ग्राम पंचायत चांखेड़ द्वारा प्रतिवादी के नाम पर संपुर्ण जांच पड़ताल कर नियमानुसार मिसल कायम कर मौका निरीक्षण करने के उपरांत प्रतिवादी का मौके पर कब्जा देख वर्ष 2014 में मकान व भूखण्ड का विनियमितिकरण किया गया। विनियमितिकरण पट्टे नपती 30 गुणा 60 फिट के पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में मगना जी खारोल व दक्षिण में मांगू खारोल का पड़ोस स्थित है। प्रतिवादी ने जवाबदावे में अंकित इन तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र असल प्रदर्श ए 1 व उसकी प्रति प्रदर्श ए 1 ए पत्रावली पर प्रदर्शित करवाई है। इस शपथ पत्र प्रदर्श ए 1 ए के संबंध में स्व्यं वादी किशना ने बतौर गवाह पीडब्ल्यू 01 प्रदर्श ए 1 असल होकर सही होना व उसके द्वारा लिखवाए जाने के कथन किए हैं। इस शपथ पत्र प्रदर्श ए 1 ए के गवाह डीडब्लयू 02 भंवरसिंह ने प्रदर्श ए 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने, प्रदर्श ए 1 ए को प्यारा व किशना दोनों के द्वारा बाकली से लेकर आने स्टांप में पटटे के तलिए का विवाद होने, स्टांप बंटवारा व राजीनामे का होने और प्यारा के द्वारा किशन का अंगूठा फर्जी लगाने से इंकार करने के कथन मुख्य रूप से अपने बयानों में किए हैं। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष स्वयं वादी किशना ने स्टांप प्रदर्श ए 1 ए को सही होना बताते हुए उसके द्वारा लिखवाए जाने के कथन किए हैं। और स्टांप प्रदर्श ए 1 ए के निष्पादन की पुष्टि गवाह डीडब्ल्यू 02 भंवरलाल ने भी की है। दौराने जिरह गवाह पीडब्ल्यू 01 वादी किशना ने प्रदर्श ए 1 ए की मद संख्या 04 में अंकित बात स्वयं के द्वारा न लिखवाने और प्रदर्श ए 1 पर एक्स स्थान पर स्वयं की अंगूठा निशानी न होने के कथन किए है। न्यायालय के मत में जबकि वादी किशना को आरंभ से ही शपथ पत्र प्रदर्श ए 1 ए निष्पादन की जानकारी रही है और प्रदर्श ए 1 ए की मद संख्या 04 में लिखी हुई बात उसके द्वारा न लिखवाने और इस पर स्वयं का अंगूठा निशानी न लगे होने की आपत्ति रही है तब इस संबंध में वादी किशना के द्वारा क्या कार्यवाही की गई इस संबंध में वादी ने न तो न्यायालय के समक्ष कोई कथन किए हैं और ना ही ऐसी किसी की गई कार्यवाही के बाबत कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष लाकर पेश किया है। प्रतिवादी ने मूल रूप से वादी व उसके पटटे को मिलाते हुए विनियमतीकरण के आधार पर वर्ष 2014 में जो नवीन पटटा प्रदर्श ए 8 प्रतिवादी के नाम जारी होने का आधार लिया है वह शपथ पत्र प्रदर्श ए 1 ए ही है। प्रतिवादी ने इसी शपथ पत्र को ग्राम पंचायत में देकर विनियमतीकरण से नवीन पटटा स्वयं के नाम जारी होने के कथन किए हैं। स्वयं वादी किशना ने अपने बयानों में उसके व प्रतिवादी के पटटो का राजीखुशी ग्राम पंचायत में दिया जाकर प्रतिवादी के नाम भूखंड नपती 60 गुणा 30 फीट का पटटा जारी होना स्वीकारा है। इससे न्यायालय के समक्ष यह साबित आता है कि प्रतिवादी के द्वारा विनियमतीकरण से जारी नवीन पटटा प्रदर्श ए 8 जारी होने से पूर्व प्रतिवादी के द्वारा ग्राम पंचायत में शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत कर स्वयं के नाम पटटा जारी किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही थी। ऐसे में जबकि प्रदर्श ए 1 ए जो कि विनियमतीकरण से नवीन पटटा जारी होने का आधार है पर वादी के द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही उसकी फर्जी अंगूठा निशानी लगाने या शपथ पत्र में अंकित तथ्यों में फर्जीकारी करने के

संबंध में अमल में न लाया जाना स्वयं वादी के बयानों पर गंभीर संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है।

17– गवाह पीडब्ल्यू 01 किशनलाल ने बयानों में न्यायालय कलेक्टर भीलवाड़ा के यहां प्रतिवादी प्यारा के पटटे के संबंध में निगरानी पेश कर आदेशिका निगरानी प्रदर्श 01 एवं न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 22.08.2024 प्रदर्श 05 प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श 01 का अवलोकन करने से जाहिर है कि वादी किशना के द्वारा प्रतिवादी प्यारा के विरूद्ध धारा 97 पंचायतीरात अधिनियम 1994 के तहत पटटा संख्या 42 को निरस्त किए जाने की निगरानी पेश की है। प्रदर्श 1 निगरानी याचिका में वादी किशना ने मुख्य रूप से प्रतिवादी प्यारा के द्वारा झूठे व फर्जी शपथ पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर विनियमतीकरण का पटटा जारी करवा लेने के कथन करते हुए पटटा संख्या 42 दिनांक 30.10.2014 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा है। इस निगरानी याचिका पर पारित निर्णय दिनांकित 22.08.2024 प्रदर्श 05 पत्रावली पर प्रदर्शित हुआ है। प्रदर्श ए 5 निर्णय में जिला कलेक्टर महोदय ने मुख्य रूप से यह विवेचित किया है कि

" निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा दौराने बहस कथनानुसार उक्त दोनों भूखंडों को मिलाकर एक ही भूखंड बनाकर कच्चे मकानों का नियमितीकरण ग्राम पंचायत चाखेड द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार यदि पूर्व में दो भूखंडों के पृथक–पृथक पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गए थे तो बाद में उनका एक नवीन पटटा/विनियमितीकरण विक्रय विलेख जारी किया जाना प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद प्रतीत होता है, परंतु पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र दिनांकित 23.06.2004 जो किशन पिता घीसा खारोल के नाम जारी किया जाना दर्शित हो रहा है जिसमें शपथकर्ता द्वारा भूखंड का सनद पटटा अपने भाई प्यारचंद के नाम पर दिया जाने में कोई ऐतराज नहीं होना अंकित किया हुआ है एवं उक्त शपथ पत्र यदि स्वयं निगराकार द्वारा ही निष्पादित किया गया हो तो उक्त शपथ पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत , चाखेड द्वारा जारी प्रश्नगत पटटा/ विनियमितीकरण विक्रय विलेख संख्या 42 दिनांक 30.10.2014 प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है। उक्त शपथ–पत्र के संबंध में कोई कार्यवाही निगराकार की ओर से की गई हो, ऐसा भी पत्रावली से प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता है। उक्त समस्त तथ्यों की विधिवत जांच उपरांत ही जैर निगरानी पटटे की वैधता–अवैधता निर्धारित की जा सकती है।"

18– इस प्रकार निर्णय प्रदर्श 05 में जिला कलेक्टर महोदय ने प्रतिवादी के नाम जारी विनियमतीकरण पटटा संख्या 42 की वैधता या अवैधता पर कोई विवेचन निगरानी में पारित आदेश पर नहीं दिया है। निर्णय प्रदर्श ए 5 में जांच के पश्चात ही विनियमतीकरण पटटे की वैधता–अवैधता निर्धारित किया जा सकना जिला कलेक्टर महोदय ने निर्धारित किया है। निर्णय प्रदर्श ए 5 में जिला कलेक्टर महोदय ने यह आदेश पारित किया है कि–

" अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मांडल जिला भीलवाड़ा राज. को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे एक माह में जैर निगरानी पटटा विलेख संख्या 42 दिनांक 30.10.2014 जारी किये जाने संबंधी संपूर्ण तथ्यों तथा विवादित भूखंड पर कब्जा, निर्माण संरचना, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा विवादित शपथ पत्र इत्यादि की विधिवत जांच करें तथा बाद जांच यदि प्रकरण में नियमों प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावें या संपूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावें जिससे गैर निगरानी पटटा जारी करने की प्रक्रिया दूषित (vitiate) हुई हो तो अविलंब प्रकरण बनाकर नियमानुसार

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। पटटे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। इससे अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकोर्ड ग्राम पंचायत, चाखेड, पंचायत समिति, मांडल, जिला भीलवाड़ा तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।"

19- इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रदर्श 1 पर पारित उक्त आदेश प्रदर्श 05 में यह प्रकरण जांच हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति मांडल को प्रतिप्रेषित किया गया है। इस आदेश में विकास अधिकारी पंचायत समिति मांडल को निर्देश किया गया है कि वे एक माह के भीतर पटटा विलेख संख्या 42 दिनांक 30.10.2014 के संबंध में संपूर्ण तथ्यों, कब्जा, निमार्ण, दस्तावेज, शपथ पत्र पर विधिवत जांच करें तथा जांच में नियम प्रावधानों का उल्लंघन या अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण बनाकर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश करें। जिला कलेक्टर महोदय ने पटटे के संबंध में विस्तृत जांच किए बिना पटटे को निरस्त किया जाना न्यायोचित न होना माना है।

20- पत्रावली में वादी के द्वारा आज दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई निर्णय, आदेश या विवेचन भी लाकर पेश नहीं किया है जिससे कि न्यायालय के समक्ष यह साबित आता हो कि प्रतिवादी प्यारा के नाम जारी विनियमतीकरण पटटा प्रदर्श ए 8 निरस्त कर दिया हो या उस पर किसी प्रकार का स्थगन दे दिया हो। वादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रदर्श 1 पर पारित निर्णय प्रदर्श 05 में भी प्रतिवादी के नाम जारी विनियमतीकरण पटटा प्रदर्श ए 8 को न तो निरस्त किया है और न ही प्रदर्श ए 8 पटटे की वैधता या अवैधता के संबंध में कोई विवेचन दिया है। न्यायालय के मत में आज दिनांक तक प्रदर्श ए 8 पटटे को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही इस पटटे पर किसी प्रकार का कोई स्थगन दिया गया है। उक्त समग्र विवेचन व उभय पक्षों के मध्य यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी के पक्ष में जारी पटटा संख्या 56 को व प्रतिवादी के पक्ष में जारी पटटा संख्या 55 को एकीकृत व समाहित करते हुए प्रतिवादी के नाम विनियमतीकरण पटटा प्रदर्श ए 8 वर्ष 2014 में ही जारी हो चुका है और आज दिनांक तक पटटा प्रदर्श ए 8 अस्तित्व में है। न्यायालय के मत में वादी उसके जिस पटटेशुदा भूखंड के संबंध में यह वाद न्यायालय के समक्ष लाया है वह वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसे में वादी का यह कहना कि मौके पर उसका एक भूखंड संख्या 56 नपती 25 गुणा 30 फीट का मुताबिक नजरी नक्शा मार्क अ, ब, स, द मौके पर विद्यमान हो माने जाने योग्य नहीं है।

21- प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह अंकन किया है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के विरुद्ध थाना बागोर में दिनांक 09.05.2015 को पेश किया। वादी द्वारा थाना बागोर में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर थाना बागोर द्वारा त्वरित रुप से कार्यवाही कर मौका निरीक्षण कर वादी व उसके गवाहों के बयानों को लिपिबद्ध कर उनके हस्ताक्षर करवाये गये जिसमें पुलिस थाना बागोर ने यह पाया कि विवादित स्थल पर वर्ष 1996 के पूर्व ही प्रतिवादी का कब्जा है तथा वादी ने भी अपने बयानों में यह कहा कि वादग्रस्त स्थल पर वर्तमान में प्रतिवादी का कब्जा है तथा वर्ष 2004 में वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में स्टाम्प शपथ पत्र भी निष्पादित करना स्वीकार किया है जिस पर पुलिस थाना बागोर द्वारा संपुर्ण जांच से वादी का मामला झुठा पाये जाने पर वादी के खिलाफ धारा 107-116 (3) सीआरपीसी के तहत कार्यपालक दण्डनायक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया जो जैर कार्यवाही है। वादी ने भी वादपत्र में यह अंकन किया है कि उसके भूखंड पर जबरन कब्जा करने व पत्थर डालने का प्रयास किए जाने पर वादी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना बागोर

में उसी दिन दिनांक 09.05.2018 को दर्ज करवाई थी जो जैर कार्यवाही नहीं है। पत्रावली में पुलिस थाना बागोर में वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दी गई रिपोर्ट प्रदर्श ए 2 प्रतिवादी ने प्रदर्शित करवाई है। इस संबंध में दौराने जिरह गवाह पीडब्ल्यू 01 किशनलाल ने कथन किए हैं कि रिपोर्ट प्रदर्श ए 2 है जो उसने थाना बागोर को दी थी जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशनी है प्रदर्श ए 3 से ए 7 गवाहों के बयान है। प्रदर्श ए 3 लगायत प्रदर्श ए 7 अंतर्गत धारा 107- 116(3)सीआरपीसी की जांच के तहत लेखबद्ध किए गए बयान है। जिसमें प्रदर्श ए 3 स्वयं वादी किशन के बयान है। जिसके अंत में स्वयं वादी किशन की अंगूठा निशानी है। प्रदर्श ए 3 में वादी किशन ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसका व उसके भाई प्यारा का एक प्लॉट लेसवा रोड पर स्थित है। प्लॉट उसके भाई प्यारा ने ही खरीदा था तथा शुरू से ही कब्जा प्यारा का था। वे दोनों भाई शुरू में शामिल मे रह रहे थे। दिनांक 31.05.2004 को दस रूपये के स्टांप पर लिखा पढी की थी कि प्लॉट प्यारा का है तथा उस पर प्यारा ही काबिज है तथा उस समय स्टांप पर लिखा था कि आज से प्लॉट का उपयोग प्यारा करेगा उस वक्त गवाह बालू खारोल, भंवर जी, हरजीलाल, हीरालाल, भवानी सिंह मौजूद थे। यह प्लॉट उसके भाई ने ही खरीदा था तथा उसका भाई ही शुरू से काबिज है। इस प्रकार किशन के द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट पर की गई जांच में स्वयं वादी किशन ने प्लॉट के बाबत लिखत निष्पादित कर कब्जा प्रतिवादी प्यारा का होना स्वीकारते हुए यह प्लॉट प्रतिवादी प्यारा के होने के कथन किए हैं। स्वयं वादी किशनलाल ने न्यायालय के समक्ष बयानों में प्रदर्श ए 3 स्वयं के बयान होना स्वीकारा है। इस प्रकार स्वय वादी ने न्यायालय के समक्ष विवादित प्लॉट स्वयं के भाई प्यारा का होना स्वीकारते हुए उसी के काबिज होने के कथन किए है और प्लॉट के बाबत शपथ पत्र भी निष्पादित किए जाने के कथन किए हैं।

22- प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह अंकन किया है कि प्रतिवादी के पक्ष में जो विनियमतीकरण पटटा नपती 30 गुणा60 फीट का वर्ष 2014 में जारी हुआ है। उस भूखंड पर प्रतिवादी सन 1996 से ही काबिज होकर निवास कर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखंड मौके पर विद्यमान नहीं है। वादी ने जिन दोनो पटटो का हवाला अपने वाद पत्र में किया है उन दोनों पटटो की भूमि प्रतिवादी के कब्जे में थी जिसके चारों ओर प्रतिवादी ने चार दीवारी बनाकर रहवास हेतु कुछ भूभाग पर पक्का मकान बनाया व शेष भूभाग को गाय, भैंस, बकरी व मवेशी बांधने व मवेशियों के लिए घास फूस व जलाउ लकड़ी रखने के काम लेकर निरंतर निर्बाद रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी ने दिनांक 09.05.2015 को ही एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत चाखेड में इस आशय का पेश किया कि उसके पटटेशुदा भूखंड पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है। अतः भूखडों का सीमाज्ञान कर वादी को उसके पटटेशुदा भूखंड का कब्जा दिलाया जाए। वादी का विवादग्रस्त स्थल पर कोई कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में प्रतिवादी के विरूद्ध वादी वादपत्र के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

23- इस संबंध में दौराने जिरह गवाह पीडब्ल्यू 01 किशनलाल ने यह कथन किए हैं कि उसका पुश्तैनी व आवासीय मकान न्यायालय कोर्ट रूम से सड़क की दूरी तक की दूरी पर स्थित है। वह उस आवासीय मकान में परिवार सहित 20-25 साल से रह रहा है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष स्वयं वादी किशना ने इस बात को स्वीकारा है कि वह अपने परिवार सहित उसके पुश्तैनी मकान में 20-25 साल से रह रहा है जो कि विवादित भूखंड से कोई दूसरा मकान है। दौराने जिरह गवाह पीडब्ल्यू 01 किशनलाल ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने दावा पेश करने से दो महिने पहले थाने में रिपोर्ट दी उसी दिन पंचायत ने भी यह रिपोर्ट दी थी कि पटटा उसका है और प्यारा ने कब्जा कर रखा है

और प्यारा का कब्जा हटाओ। यह कहना सही है कि उसने थाने में दिनांक 09.05.2015 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी ने यह दावा दिनांक 09.07.2015 को पेश किया है और दावादायरी की दिनांक पर वादी ने विवादित भूखंड नपती 25 बाई 30 फीट पटटा संख्या 56 पर काबिज होकर जायदाद का उपयोग उपभोग करने के कथन किए हैं। वादी ने वाद पत्र में उसकी कब्जेशुदा जायदाद को मार्क अ,ब,स,द से भी दर्शाया है जबकि बयानों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दावा पेश करने से दो महिने पहले ही उसने पंचायत में रिपोर्ट दी थी कि प्यारा ने कब्जा कर रखा है और प्यारा का कब्जा हटाओ। इससे न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से जाहिर आता है कि दावा दायरी के समय वादी विवादित भूखंड पटटा संख्या 56 पर काबिज नहीं था। गवाह पीडब्ल्यू 02 चंपालाल ने भी इस सुझाव को सही बताया है कि किशना ने प्यारा के विरूद्ध ग्राम पंचायत चाखेड में विवादित जायदाद से प्यारा का कब्जा हटाने के लिए रिपोर्ट दी थी। अजखुद कहा कि किशन के प्लॉट में पत्थर डाल दिए थे जिसकी रिपोर्ट देने वह किशन के साथ गया था।

24– गवाह पीडब्ल्यू 01 किशनलाल ने विवादित स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया जाकर कमिश्नर रिपोर्ट मय फोटोग्राफ पर एक्स स्थान पर स्वयं की अंगूठा निशानी होना बताई है। दौराने जिरह गवाह पीडब्ल्यू 01 किशनलाल ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि 30 बाई 60 फीट का पटटा बनाने के लिए उसका मौका देखने के लिए कमिश्नर साहब आए थे जो प्रदर्श 04 है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 04 उसके सामने बनाया था जो सही है। यह सही है कमिश्नर साहब मौका देखने आए थे तब चबूतरी और टैंक का खड्डा खुदा हुआ था और कमरा और रसोई नहीं थे पश्चिम दिशा में खाली जमीन पडी हुई थी। यह कहना सही है कि चबूतरी के आगे एक कमरा बना हुआ है। यह कहना सही है कि उक्त झपरे में जो खाली स्थान पड़ा था उसमें प्यारे की बकरियां बंधी हुई थी। यह कहना सही है कि भैंसे बंधी हुई नहीं थी। विवादग्रस्त जमीन पर टैंक प्यारा ही खुदवा रहा था जो जबरदस्ती खुदवा रहा था। गवाह पीडब्ल्यू 02 चंपालाल ने कथन किए हैं कि मुकदमा लगने के बाद खाली जगह पर पत्थरों की कोट प्यारा ने बनाई उक्त खाली जगह पर प्यारा भैंसे जबरदस्ती बांधता है। एक कमरा, चबूतरी, रसाई, टैंक का खड्डा व टपरी प्यारा की जमीन पर बना हुआ है बाकी जमीन खाली पड़ी हुई है या नहीं उसे पता नहीं।

25– कमिश्नरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 का अवलोकन करें तो उसमें विवादग्रस्त स्थल का ग्राम बाकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होना बताते हुए पूर्व में लेसवा बाकली की पक्की सड़की, पश्चिम में कच्चा रास्ता, उतर में मांगीलाल खारोल का बाडा व दक्षिण में मंगना खारोल का बाडा स्थित होने का अंकन है। कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 में अंकित विवादित स्थल के इस आसपडोस का मिलान यदि प्रतिवादी के पक्ष में जारी विनियमतीकरण पटटे प्रदर्श ए 8 से किया जाए तो कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित विवादित स्थल के आस पडोस पटटा प्रदर्श ए 8 से हुबहू मिलान खाते हैं। कमिश्नर रिपोर्ट में विवादित स्थल में चबूतरी, टैंक का खड्डा, एबीसीडी स्थान पर पक्का मकान जिसमें कमरा, रसोई बने होना दर्शाए गए हैं। विवादित स्थल में झपरे के नीचे तीन बकरियां बंधी होना दर्शाया है। इस कमिशनर रिपोर्ट में विवादित स्थल के पश्चिमी तरफ मार्क एएफजीएसआर पर पत्थर की चारदीवारी बनी होने और इस चारदीवारी के मध्य खाली चौक पडा होकर उस चौक में तीन भैंसे बंधी होना दर्शाई गई है।

26– इस प्रकार कमिशनर रिपोर्ट में मौके पर कमरे रसोई, झपर, चबूतरी आदि बनी होकर इस विवादग्रस्त स्थल के पीछे की तरफ पश्चिम में चार दीवारी बनी होना और चार दीवारी के मध्य खाली चौक स्थित होना दर्शित है। प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह अंकित किया है कि

दोनों पटटो की भूमि प्रतिवादी के कब्जे में थी जिसके चारों ओर प्रतिवादी ने चार दीवारी बनाकर रहवास हेतु कुछ भूभाग पर पक्का मकान बनाया व शेष भूभाग को गाय, भैंस, बकरी व मवेशी बांधने व मवेशियों के लिए घास फूस व जलाउ लकड़ी रखने के काम लेकर निरंतर निर्बाद रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी के जवाबदावे में अंकित तथ्यों के मुताबिक विवादग्रस्त स्थल पर चारदीवारी निर्मित होने, मवेशी बंधे होने व कुछ भूभाग पर पक्का निर्माण होने की पुष्टि होती है। कमिशनर रिपोर्ट में मौके पर विवादित स्थल का एक ही भूखंड होना दर्शाया है और विवादित स्थल का पश्चिम हिस्से पर चारदीवारी निर्मित होकर यह पश्चमी हिस्सा पूर्वी हिस्से से जुडा हुआ है। प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से दोनों भूखडों को उसके द्वारा उपयोग में लाकर काबिज होने के कथन किए हैं। ऐसे में कमिशनर रिपोर्ट से भी इस बात को स्पष्ट बल मिलता है कि मौके पर विवादित स्थल पर प्रतिवादी काबिज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

27— इस प्रकार उक्त समग्र विवेचन से न्यायालय के समक्ष यह साबित आता है कि वादी जिस पटटा संख्या 56 को आधार बनाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध लाया है उस पटटा संख्या 56 की भूमि को समाहित करते हुए वर्ष 2014 में विनिमतीकरण का पटटा प्रदर्श ए 8 प्रतिवादी के पक्ष में जारी हो चुका है जिसे आज दिनांक तक किसी सक्षम प्राधिकारी ने निरस्त किया स्थगित नहीं किया है और न ही इस पटटा प्रदर्श ए 8 को किसी सक्षम प्राधिकारी ने अवैध घोषित किया है। प्रतिवादी ने वर्ष 2014 में विनियमतीकरण पटटा प्राप्त करने का आधार स्टांप पर निष्पादित शपथ पत्र को बनाया है। जिसे भी प्रतिवादी ने पत्रावली में पेश किया है और स्वयं वादी व स्टांप पत्र निष्पादन के गवाह ने शपथ पत्र प्रदर्श ए 1 ए के प्रति स्वीकारोक्ति दी है। वादी ने विवादित भूखड पर स्वयं का काबिज होना बताते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मूल रूप से पेश किया है जबकि स्वयं वादी ने दावा दायरी से पूर्व कब्जा वापसी व सीमाज्ञान कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में दिया जाना स्वीकारा है। इसके अलावा कमिशनर रिपोर्ट व वादी गवाहान के साक्ष्य से मौके पर वादी का काबिज होना साबित ही नहीं आया है। ऐसे में न्यायालय के मत में वर्तमान में न तो वादी के पास विवादित स्थल पर वैध रूप से कब्जा दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज है और न ही वादी मौके पर विवादित स्थल पर भौतिक रूप से काबिज है जबकि जिस विवादित स्थल को वादी स्वयं की पटटेशुदा व कब्जेशुदा होने के कथन कर रहा है उस स्थान के बाबत प्रतिवादी के पक्ष में विनियमतीकरण का पटटा प्रदर्श ए 8 जारी हो चुका है जो कि आज तक प्रभाव में है। ऐसे में उक्त समग्र विवेचन से विवाद्यक संख्या 01 वादी के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या 03 व 04 प्रतिवादी के पक्ष में तय किए जाते है।

<u>विवाद्यक सं. 2</u> :—

2. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि यदि प्रतिवादी वादी के भूखण्ड पर कोई अवैध निर्माण करें तो उसके खर्चे पर ध्वस्त कराया जावे?

28— इस विवाद्यक बिंदु को स्वयं के पक्ष में साबित करने का भार वादी पर है। वादी किशना ने दिनांक 09.07.2015 को यह दावा पेश कर वादपत्र में यह अंकित किया है कि मौके पर वादी काबिज है। यदि दौराने वाद प्रतिवादी वादी को जबरन बेदखल कर बलपूर्वक अवैध तौर पर कोई निर्माण कर ले तो आदेशात्मक आज्ञा से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कब्जा वादी को दिलवाया जाये। इस प्रकार वादी ने दावा दायरी की दिनांक को विवादित भूखण्ड पर स्वयं के काबिज होने के कथन किये है। न्यायालय के

समक्ष बतौर गवाह पीडब्लयू 01 स्वयं वादी किशनलाल ने यह कथन किये है कि उसने दावा पेश करने से 2 महिने पहले थाने में रिपोर्ट दी उसी दिन पंचायत में भी यह रिपोर्ट दी थी कि पट्टा उसका है और प्यारा ने कब्जा कर रखा है और प्यारा का कब्जा हटाओ। यह कहना सही है कि कब्जा लेने के लिए पंचायत में प्रार्थना पत्र लगाया था अजखुद कहा कि पंचायत में प्रार्थना पत्र नहीं लगाया। दौराने जिरह गवाह पीडब्लयू 02 चंपालाल ने कथन किये है कि यह कहना सही है कि किशना ने प्यारा के विरुद्ध ग्राम पंचायत चाखेड़ में विवादग्रस्त जायदाद में प्यारा का कब्जा हटाने के लिए रिपोर्ट दी थी। अजखुद कहा कि किशन ने प्लॉट में पत्थर डाल दिये थे जिसकी रिपोर्ट रिटर्न में दी थी वह भी किशन के साथ रिपोर्ट देने गया था। मुकदमा करने के बाद खाली जगह पर पत्थरों की कोट प्यारा ने बनायी उस खाली जगह पर प्यारा भैंसे जबरदस्ती बांधता है। एक कमरा, चबुतरी, रसाई, टंकी का गढा व टपरी प्यारा की जमीन पर बना हुआ है बाकि जमीन खाली पड़ी हुई है या नहीं उसे पता नहीं। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष स्वयं वादी किशनलाल ने अपने बयानों में यह स्वीकारा है कि दावा दायरी से 2 महिने पहले पंचायत में उसने उसकी पट्टेशुदा जमीन पर प्यारा का कब्जा होने के संबंध में रिपोर्ट दी है। गवाह पीडब्लयू 02 चंपालाल ने भी किशना के द्वारा प्यारा के विरुद्ध ग्राम पंचायत चाखेड़ में विवादग्रस्त जायदाद पर प्यारा का कब्जा हटाने के लिए रिपोर्ट किशना के साथ जाकर रिटर्न में देने और मुकदमा लगने के बाद प्लॉट पर प्यारा के द्वारा पत्थर की कोट बनाकर जमीन को उपयोग में लेना बताया है। इस प्रकार जबकि दावा दायरी से पहले ही स्वयं वादी ने विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादी का काबिज होना स्वीकार किया है तब वादी ने मूल दावे में प्रतिवादी का काबिज होना बताकर कब्जा वापसी का या आदेशात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष क्यों नहीं चाहा है इसका कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में नहीं है। वादी ने दावा दायरी की दिनांक तक विवादग्रस्त भूखण्ड पर स्वयं के काबिज होने के कथन किये है परंतु स्वयं ही दावा दायरी से 2 महिने पहले विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादी प्यारा के द्वारा कब्जा कर लिया जाना स्वीकारता है। इसके अलावा भी यदि एक बार के लिए मान लिया जाये कि दावा दायरी के पश्चात् प्रतिवादी ने वादी को वादग्रस्त भूखण्ड से बेदखल कर दिया है तो भी संपुर्ण विचारण के दौरान वादी ने इस आशय का कोई संशोधन न तो अपने वादपत्र में करवाया है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन अपने बयानों में किये है कि किस दिनांक को प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा कर लिया। वादी जिस भूखण्ड नपती 25 गुणा 30 फिट का पट्टा सं. 55 ग्राम पंचायत चाखेड़ द्वारा स्वयं के पक्ष में जारी होने का कथन कर रहा है उस भूखण्ड को मिलाते हुए प्रतिवादी के पक्ष में विनियमितिकरण पट्टा प्रदर्श ए 8 दिनांक 30.10.2014 को जारी किया जा चुका है जिसे भी वादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश प्रदर्श ए 5 दिनांकित 22.08.2004 के द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया। ऐसे में वादी उक्त विवाद्यक के माध्यम से प्रतिवादी के विरुद्ध आदेशात्मक आज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तद्नुसार विवाद्यक सं. 2 वादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 5–</u>

5– ''अनुतोष ?''

29– यह विवाद्यक अनुतोष से सम्बन्धित है, चूंकि वादी प्रकरण के विवाद्यक सं. 1 व 2 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। प्रतिवादी विवाद्यक सं. 3 व 4 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। विवाद्यक सं. 1 व 2 वादी के विरुद्ध तय किये जाते है। विवाद्यक सं. 3 व 4 प्रतिवादी के पक्ष में बनना पाये जाते है। ऐसे में वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:: <u>आदेश</u> ::

30– परिणामतः वादी किशना का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादी प्यारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर जारी हो।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
माण्डल, भीलवाडा (राज.)

31– निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
माण्डल, भीलवाडा (राज.)